



Court Case No- 292/23

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल. सं. NCST-02/0Land/4/2021-ESDW

सेवा में,

श्री चन्द्र विजय सिंह,
जिलाधिकारी,
डीएम कार्यालय, लोढी,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-231216
ई-मेल: dmson@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक 11.01.2023 को अपराह्न 03:00 बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने, मकान निर्माण करने एवं उनकी भूमि के कथित गैर कानूनी हस्तांतरण के संबंध में- श्री उमेश गोंड, पिता- स्व. भगन उर्फ भगवान, ग्राम- कुडवा, थाना- कोन, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) का दिनांक 06.09.2021 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 2. आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 27.09.2021.

संदर्भ 3. आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.06.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 03, जनवरी, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

National Commission for Scheduled Tribes
of India
New Delhi-110001